

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 71/2020 (Bank Case)

GCMS No. 2020/ 00196

मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय-14, 45/90, पी-ब्लॉक, प्रथम तल, कनाट पैलेस, नई दिल्ली-110001, Registered Also at Central office 1st Floor, prius Global Tower, A3,4,5 Sector 125, Noida -201301 जरिये प्राधिकृत अधिकारी mr. wassem

- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. Gagan Kumar S/o Prem Chand Mehra, Hanuman Gadi, Bad ke Pead Ke Pass, Kunhadi Kota Balapura, Shambhopura, Kota Rajasthan-324008 Also at property Bearing house At Hanuman Gadi, Ward No. 2, Village Kunhari, Kota Rajasthan 324008
2. Prem Kumar Mehra S/o Mela Ram Kumar Hanuman Gadi, Bad ke Pead Ke Pass, Kunhadi, Kota, Balapura, Shambhopura, Kota Rajasthan-324008 Also at property Bearing house At Hanuman Gadi, Ward No. 2, Village Kunhari, Kota Rajasthan 324008
3. Vinod Bai W/o Prem Kumar Mehra Hanuman Gadi, Bad ke Pead Ke Pass, Kunhadi Kota Balapura, Shambhopura, Kota Rajasthan-324008 Also at property Bearing house At Hanuman Gadi Ward No. 2, Village Kunhari, Kota, Rajasthan 324008

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्युरिटीजेशन रिवसट्रक्शन आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 23.12.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय-14, 45/90, पी-ब्लॉक, प्रथम तल, कनाट पैलेस, नई दिल्ली-110001, Registered Also at Central office 1st Floor, prius Global Tower, A3,4,5 Sector 125, Noida -201301 में स्थित है से अप्रार्थी सं० 1 लगायत 3 ने दिनांक 25.05.2018 को रुपये 6,00,000/- (अक्षरे: रुपये छ: लाख, मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी सं० 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति आवासीय All That Piece And Parcel Property Bearing House At Hanuman Gadi Ward No. 2, Village Kunhari. Kota Rajasthan 324008 Admeasuring About 76.41 Sq Yds. East: House of Satya Narayan Parjapat, West: House of Mukesh Pareta, North: Road South: Open Land Than Lalit House का मकान है, जिसका कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा क्रमांक/396 दिनांक 21.06.2013 से नियमन-आवंटन/अधिकार पत्र अप्रार्थी सं० 2 के नाम जारी किया गया है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण




के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 29.02.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 6,13,514.46/- (अक्षरे रूपये छः लाख तैरह हजार पांच सौ चौदह रूपये छियांलिस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 13.03.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.03.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.03.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 18.03.2020 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति आवासीय All That Piece And Parcel Property Bearing House At Hanuman Gadi Ward No. 2, Village Kunhari. Kota Rajasthan 324008 Admeasuring About 76.41 Sq Yds. East: House of Satya Narayan Parjapat, West: House of Mukesh Pareta, ,North: Road South: Open Land Than Lalit House का मकान है, जिसका कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कमांक/396 दिनांक 21.06.2013 से नियमन-आवंटन/अधिकार पत्र अप्रार्थी सं० 2 के नाम जारी किया गया है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को सुनाया गया।


(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा